

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के व्यादेश सं0-1006(1), दिनांक-27.07.2016 एवं आवंटनादेश सं0-33(1)ब0, दिनांक-27.07.2016 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है-

1- व्यादेश सं0-1006(1), दिनांक-27.07.2016 में कंडिका-12 निम्नरूपेण सम्मिलित किया जाता है-

"12- राशि की अग्रिम निकासी में मा0 मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।"

2- व्यादेश सं0-1006(1), दिनांक-27.07.2016 एवं आवंटनादेश सं0-33(1)ब0, दिनांक-27.07.2016 की कंडिका-6 निम्नरूपेण प्रतिस्थापित की जाती है-


"अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी, जो इसे अपने पी0एल0 खाता में जमा कर कार्य को सम्पादित करायेंगे।"

3- व्यादेश सं0-1006(1), दिनांक-27.07.2016 एवं आवंटनादेश सं0-33(1)ब0, दिनांक-27.07.2016 की कंडिका-7 निम्नरूपेण प्रतिस्थापित की जाती है-

"बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा राशि के व्ययोपरान्त इसका डी0सी0 विपत्र महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए इसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।"

4- व्यादेश सं0-1006(1), दिनांक-27.07.2016 एवं आवंटनादेश सं0-33(1)ब0, दिनांक-27.07.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5- व्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।


(शेखर-चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-1/आई0जी0आई0सी0-04/2016-53(1) व0/स्वा0, पटना, दिनांक-26 / 9 / 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 10 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।